



फार्म-अ
(कड़िका 26 देखिए)

रियायती निर्बन्धनों तथा शर्तों पर भूमि के अनुबन्ध के लिए अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

1. यह विलेख आज तारीख 28 अक्टूबर 2006 प्रथम पक्ष छ0ग0 के राज्यपाल (जिन्हे इसमें पश्चात् राज्यपाल कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उनके पद के उत्तरवर्ती आयेगें) तथा द्वितीय पक्ष अपने प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय जशपुर के मार्फत जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुदान गृहीता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उसके अनुज्ञात समनुदेशती आयेगें) के बीच किया जाता है।

चूँकि अनुदान गृहीता ने राज्यपाल से निवेदन किया है कि वे ग्राम गम्हरिया प0ह0न0- 27 तहसील व जिला- जशपुर की शासकीय भूमि खसरा न0-133/3 रकबा 10.125 हे0 में से रकबा 6.072 हे0 भूमि अर्थात् 15.00 एकड़ जो कि इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है तथा अधिक स्पष्टतया की दृष्टि से जो इससे संपाबन्ध रेखांक में चित्रित है और उसमें सुर्खी से बतलाया गया है) जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि के निर्दिष्ट है अनुदान गृहीता को अनुछत्त कर दें।

और चूँकि राज्यपाल ने अनुदान गृहीता का निवेदन स्वीकार करके इसमें इसके पश्चात् दिये गये है निर्बन्धनों तथा शर्तों पर अनुदान गृहीता को उक्त भूमि अनुदत्त की जाने की मंजूरी छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के आदेश कमांक एफ 4-135-सात-1/06 रायपुर दिनांक 8.9.2006 के अनुसार दे दी गई है। साथ ही समिति शासन द्वारा दिये गये आदेश एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रसारित अनुदेशों के दृष्टिगत कलेक्टर जशपुर द्वारा आदेश कमांक- 7304/वाचक/2006 जशपुर दिनांक 19.10.2006 को पारित किया गया है।

अतएव यह विलेख इस बात का साक्षी है कि राज्यपाल अनुदान गृहीता को उक्त भूमि बिना प्रब्याजि किन्तु नाम मात्र पंजीकृत मूल्य रुपये 25.00 (पच्चीस रुपया) लेकर अनुदान गृहीता को प्रदान किया गया है। जिसे वह उस पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने तथा उसका अनुरक्षण करने की प्रयोजन के लिए निम्न लिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए निर्धारण करेगा :-

(एक) अनुदान गृहीता उक्त भूमि का उपयोग उस पर केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण करने तथा उसका अनुरक्षण करने के लिए तथा उसके सहायक प्रयोजनों के लिए करेगा और वह उसकी या उस पर निर्मित भूमि को या उनके किसी विभाग को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो उपयोग में लायेगा और न उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा देगा ।

(दो) अनुदान गृहीता उक्त भूमि या उसके किसी भाग को या इस अनुदान अर्जित किसी भी अधिकार को राज्यपाल की लिखित पूर्व मंजूरी के न तो समनुदेशित करेगा, न उक्त पट्टे पर देगा । न ही अन्य प्रकार के अन्तरित करेगा ।

(तीन) अनुदान गृहीता उसे उक्त भूमि का कब्जा परिदत्त कर दिये जाने के 03 वर्ष(तीन) के भीतर उक्त भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय भवन से संबंधी भवन निर्माण पूरा करायेगा ।

(चार) अनुदान गृहीता को उक्त भूमि के किसी भी उपयोग या इस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापतियाँ संबंधित स्थानीय संस्थाओं से नगर तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी । तथा मास्टर प्लान व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि का पूर्ण पालन करना होगा ।

(पाँच) यदि उक्त भूमि या उसका कोई भी भाग या उस पर निर्मित भवन अर्थात् उसका कोई भी भाग उस विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों को छोड़कर निर्माण के लिए दी गई हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाये तो शासन उसे बिना कोई नोटिस दिये वापस ले लेगा ।

(छ) भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उसका अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के अनाधिकृत कब्जादार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी, या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य व पेनाल्टी आदि के साथ लिया जावेगा ।

2. यदि उक्त भूमि या उस पर निर्मित भवनों का उपयोग खण्ड 01 की शर्त-01 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रयोजन के लिए भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया जाये या उसमें विनिर्दिष्ट किये गये शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया जाये या अनुपालन में नही किया जाये तो यह भूमि सरकार द्वारा पुनर्गृहीत की जा सकेगी ।

3. यदि उक्त भूमि का किसी भी समय खण्ड 02 के अधीन पुनर्ग्रहण किया जाये, तो राज्यपाल को यह विकल्प होगा कि वे :-

क - उस पर निर्मित किसी भी भवन को, उसकी लागत का या उसके वर्तमान मूल्य का, इसमें जो भी कम हो, अनुदान गृहीता को संदाय करके अपने अधिकार में ले लें, या

ख - अनुदान गृहीता से यह अपेक्षा करे कि वह ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो कि राज्यपाल द्वारा नियत किया जाये, ऐसे भवनों को हटा दें, तथा उक्त भूमि को उसकी बाजार मूल्य दशा में ले आयें । यदि अनुदान गृहीता ऐसी अध्यक्षता का इस प्रकार नियत की गई कालावधि के भीतर अनुपालन न करे, तो भवन राज्यपाल को पूर्णतः प्राप्त हो जायेंगे ।

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (छत्तीसगढ़)

// आदेश //

क्रमांक / वाचक / 2006 जशपुर, दिनांक अक्टूबर, 2006

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, डी० के० एस० भवन - रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-4-135/सात-1/06 रायपुर, दिनांक 08-09-2006 की कंडिका-1 के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक-क्रमांक 7 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के विभागों को गैर व्यावसायिक प्रयोजन के लिये 25=00 (पच्चीस) रुपये के नाम-मात्र के पंजीकृत शुल्क पर भूमि आबंटन का अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है, तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अधीन संस्था केन्द्रीय विद्यालय जशपुर (छ०ग०) को ग्राम-गम्हरिया, प०ह०न०-27, तहसील जशपुर, जिला-जशपुर (छ०ग०) स्थित शासकीय भूमि ख०न० 133/3 रकबा 10.125 हे० (पहाड़ चट्टान) में से 6.072 हे० भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक-क्रमांक 07(4) (3) के अनुसार पंजीकृत मूल्य की राशि 25=00 (पच्चीस मात्र) रुपये लेकर सामान्य शर्तों के साथ-साथ नीचे लिखे शर्तों के अधीन भूमि हस्तांतरण स्वीकृति दी जाती है:-

- (1) भूमि के किसी भी उपयोग व उस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी औपचारिकताएँ, अनुमति, अनुमोदन एवं अनापत्तियों संबंधित संस्थाओं, नगर पालिका, नगर निगम तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी ।
- (2) तीस वर्ष की लीज अवधि के पश्चात् पट्टे के नवीनीकरण पर विचार करते समय नियमानुसार वार्षिक भू-भाटक की बढ़ोत्तरी की जावेगी ।
- (3) भूमि का उपयोग अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा । अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी ।
- (4) भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न ही किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही विक्रय किया जावेगा या

किसी अन्य प्रकार से उपयोग के लिये दिया/उपलब्ध कराया जावेगा ।

(5) यदि उक्त उपयोग, उक्त आवंटित प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है, तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और आवंटितों को उसका मुआवजा देय नहीं होगा ।

(6) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

2- आदेश जारी होने की तिथि से संस्था से बिना प्रब्याजी एवं नाम मात्र का पूँजीकृत मूल्य मात्र 25=00(पच्चीस) रुपये प्रब्याजी की सम्पूर्ण राशि व भू-भाटक की राशि छः माह के अन्दर जमा कराई जावे । यदि निर्धारित अवधि तक प्रब्याजी व भू-भाटक राशि जमा नहीं कराई जाती तो आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

3- राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड एक-क्रमांक 07 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।


(डॉ०दुर्गेश मिश्रा)
कलेक्टर,
जशपुर(छ०ग०)

पृ०क्र० 7304/वाचक/ 2006
प्रतिलिपि:-

जशपुर,दिनांक 19 अक्टूबर, 2006

1. अनुविभागीय अधिकारी, (रा०) जशपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय-जशपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


कलेक्टर,
जशपुर(छत्तीसगढ़)